न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

अपील संख्याः 39/2019 एल.आर.एक्ट GCMS No.
2019/00068

पप्पू देवी पत्नि कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. शान्ति देवी पुत्री धूड़ाराम जाति मेघवाल निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी रोहीणा तहसील बाप जिला जोधपुर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री दिनेश गहलोत – अभिभाषक अपीलांट
श्री सीताराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नोखा के निर्णय दिनांक 17.05.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम भादला स्थित खसरा नंबर 453, 2729/450, 3137/454 कुल 39.8542 हैक्टयर खातेदारी भूमि में धूड़ाराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। धुडाराम के पुत्र नहीं था, एकमात्र पुत्री ही थी जिसकी शादी धूड़ाराम ने कर दी थी। धूड़ाराम की वृद्धावस्था में उसकी सेवा चाकरी उसके भाई आदूराम के पुत्र कृष्ण कुमार तथा उसकी पत्नि पप्पू देवी प्रार्थी अपीलांटा द्वारा करने से धूड़ाराम ने सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर अपनी उपरोक्त भूमि की वसीयत दिनांक 25.01.2018 को अपीलांट के पक्ष निष्पादित कर दी। धूड़ाराम का 28.04.2018 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् वसीयत के आधार पर अपीलांट पप्पू देवी उक्त भूमि की मालिक हुई। प्रार्थी अपीलांट ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार, नोखा के समक्ष दिनांक 05.07.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने सक्षम न्यायालय से वसीयत प्रोबेट करवाकर पेश करने के आदेश दिए जाने पर प्रार्थी अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में प्रोबेट जारी करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन चला आ रहा है। जिसका ज्ञान अधिनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय को होते हुए भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2019 पारित कर मृतक धूड़ाराम की 1/2 भूमि शान्ति देवी पुत्री धूड़ाराम के नाम से विरासतन इन्तकाल दर्ज कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.08.2018 को आदेश प्रसारित किया था कि "सक्षम न्यायालय से वसीयत प्रोबेट प्रकरण में निर्णय लंबित रहने तक नामान्तरकरण करना न्याय संगत नहीं हैं, शान्ति देवी को अवगत करावे।" इस प्रकार इस आदेश के रहते हुए, वसीयत प्रोबेट बाबत सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन की जानकारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि वादगत भूमि पर वसीयत के आधार पर प्रार्थी अपीलांट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री दिनेश गहलोत ने अपनी बहस में कथन किया कि धूड़ाराम के कोई पुत्र संतान नही थी, एक मात्र पुत्री थी जिसकी धूडाराम ने शादी कर दी थी। उसे विवाह के समय जो कुछ भी देना था, वह दे दिया था। धूड़ाराम की वृद्धावस्था में उसकी सेवा चाकरी उसके भाई आदुराम के पुत्र कृष्ण कुमार व उसकी पत्नि पप्पू देवी के द्वारा करने के कारण उसकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर धूड़ाराम ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि की वसीयत अपीलांट पप्पूदेवी के पक्ष में दिनांक 25.01.2018 को कर दी थी। धूड़ाराम का दिनांक 28.04.2018 को देहान्त हो जाने के पश्चात वसीयत के आधार पर अपीलांट एक मात्र मालिक हुई। अपीलांट ने वसीयत के आधार पर अपने नाम इन्तकाल दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2018 को प्रस्तुत किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत सक्षम न्यायालय से प्रोबेट करवाकर पेश करने के आदेश दिये थे। जिस पर अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में प्रोबेट करने हेतु प्रस्तुत कर दिया, जो आज भी विचाराधीन चल रहा है। इसलिए आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री सीताराम बिश्नोई ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भू सम्पति रेस्पोडेन्ट शान्ति देवी के पूर्वज दादा पताराम पुत्र धन्नाराम के नाम थी। पताराम की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि उसके पुत्र धूड़ाराम के नाम हस्तांतरित हुई। धूड़ाराम का देहान्त दिनांक 28.04.2018 को एवं उसकी पत्नि मोहिनी का देहान्त दिनांक 20.01.2018 को हो चुका है। इसप्रकार धूड़ाराम को उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त है। चूंकि विरासतन में प्राप्त भूमि की नैसर्गिक वारिस को वंचित कर वसीयत नहीं की जा सकती है। वसीयत केवल स्व अर्जित सम्पति की ही की जा सकती हैं। अतः धूड़ाराम पुत्र पताराम द्वारा श्रीमती पप्पूदवी के पक्ष में की गई कथित वसीयत विधिसम्मत नहीं है। मृतक धूड़ाराम की जीवित सन्तान के रूप मे केवल उसकी एक मात्र पुत्री शान्ति देवी ही है, जो उसकी जायज वारिस है। विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नोई ने बहस के दौरान बताया कि माननीय राजस्व मण्डल

संभागीय आयुक्त बीकानेर

राजस्थान अजमेर के रिविजन प्रकरण नम्बर 12132/1998 कैलाश चन्द बनाम छोटी देवी में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2008 में निर्णय किया है कि नामान्तरकरण एक ऐसी कार्यवाही है जो राज्य सरकार को लगान भुगतान करने हेतु कौन सर्वाधिक हकदार है, इस बात का विनिश्चय करती हैं केवल एक जीवित काश्तकार ही भूमि धारी को लगान का भुगतान कर सकता है न कि मृत काश्तकार। किसी दर्ज काश्तकार की मृत्यु होने पर नियमानुसार उत्तराधिकार को इस आधार पर अभिवाक् के आधार पर प्रास्थगन (Abeyance) में नहीं रखा जा सकता कि किसी न्यायालय के समक्ष वाद लंबित हैं, और न ही नामान्तरकरण की कार्यवाही इस आधार पर अपास्त की जा सकती है कि पक्षकारों के मध्य वाद लम्बित है। अतः अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत में उल्लेखित भूमि वसीयतकर्ता को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अतः उक्त भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित नहीं है। इसके अतिरिक्त वसीयत न तो पंजीकृत हैं, और न ही नोटेरी से प्रमाणित है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थिया शान्ति देवी मृतक धूड़ाराम की एकमात्र जायज वारिस हैं, क्योंकि मृतक धूड़ाराम की पत्नि का देहान्त धूड़ाराम की मृत्यु से पूर्व ही हो चुका था। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2019 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते। अतः उक्त आदेश दिनांक 17.05.2019 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर